न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर०ए०एस०

रसद मामला संख्या–72 / 2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर		1 सतीश पुत्र रामस्वरूप निवासी डेगाना (प्रोपराईटर मैसर्स अरोडा नमकीन डेगाना)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) श्री शिवराम चौधरी
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री डूंगर राम चौधरी।

निर्णय

दिनांक –06.08.2024

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में सीज सुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 28.02.2024 को अधिवक्ता श्री डूंगर राम चौधरी उपस्थित हुए तथा दिनांक 06.08.2024 को जवाब पेश किया।

1. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 15.12.2022 को उपखण्ड अधिकारी डेगाना एवं श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा घरेलू गैस की व्यवसायिक दुरूपयोग की रोकथाम की सूचना पर मैसर्स अरोडा नमकीन भण्डार, डेगाना पर आकस्मिक जाच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री सतीश पुत्र श्री रामस्वरूप उपस्थित मिले जिन्होने स्वय को फर्म का मालिक बताया। मौके पर दो घरेलू गैस सिलेण्डार पाईप के साथ चालू भट्टी से जुडे हुए पाये गये। दोनों ही भट्टिया चालू अवस्था में थी जिन्हें बन्द करवाकर दोनों सिलेण्डरों को अलग करवाया गया। फर्म की तलाशी ली गई जिसमें चार घरेलू गैस सिलेण्डर ओर रखे हुए पाये गये। श्री सतीश से घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर उनके पास गैस के भण्डार व उपयोग से संबंधित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर उपस्थित श्री सतीश द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर घरेलू गैस के 6 सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया।

1(1) जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है।

स.	नाम गैस कम्पनी	एस.आर. न.	गैस वजन
1	एचपीसी	134156-S	खाली
2	एचपीसी	25552-S	खाली
3	एचपीसी	390912-B	खाली
4	एचपीसी	228325-P	खाली
5	एचपीसी	021417-P	5 किग्रा
6	एचपीसी	730399-T	13 किग्रा

उपरोक्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डर, मय गैस को मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स श्री साईनाथ एचपी गैस एजेन्सी, डेगाना के प्रतिनिधि श्री रिछपाल की सुपुर्दगी में दिये गये है।

इस प्रकार श्री सतीश का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर - 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से मौके पर उपर्युक्तानुसार 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

06/8/24

अपर कलक्टर, नागौर

2. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि मैसर्स अरोडा नमकीन भण्डार डेगाना नाम की कोई फर्म अथवा दुकान अप्रार्थी की नहीं है। डेगाना में अप्रार्थी का रहवासी मकान अवश्य है। दिनांक 15.12.2022 को अप्रार्थी के मकान/परिसर में न तो किसी प्रकार का कोई निरीक्षण किया गया न ही कोई प्रविष्ट ही हुआ और न ही तलाशी ली गयी और न ही अप्रार्थी के आधिपत्य में 6 सिलेण्डर न ही अप्रार्थी के कब्जे से एच.पी.सी कम्पनी के गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। अप्रार्थी का बडा परिवार है तथा घरेलू रसोई के लिए दो गैस सिलेण्डर (टंकिया) का परमीट/पासबुक सरकारी नियमोंके अनुसार जारी की गयी है तथा अप्रार्थी उनका उपभोक्ता है। चूंकि एक टंकी खाली हो जाने पर दुसरी टंकी रसोई में तुरन्त लागने के लिए नियमानुसार रखने की स्वीकृति गैस एजेन्सी ने दे रखी है जो कोई कानूनी अपराध नहीं है। प्रवर्तन निरीक्षक ने मिथ्या जब्ती व तलाशी बतायी है। प्रार्थी के घर के आगे खुली जगह होने से गैस सिलेण्डर वितरक के कर्मचारी भी भरी हुई टंकियां रखते है और खाली भी रखते है प्रार्थी के घर के आगे खडें होकर छाया में डिलीवरी देते रहते है व खाली टंकिया वापिस लेते रहते है। लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) में सी.आर.पी.सी. की धारा 100 के प्रावधान अनुसार तलाशी व अधिग्रहण के प्रावधान अनुसार कोई कार्यवाही जब्ती आदि की फर्द तैयार नहीं किये जाने से प्रथम दृष्टया प्रकरण मिथ्या प्रकट है।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। दिनांक 15.12.2022 को उपखण्ड अधिकारी डेगाना एवं श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर पहुंचकर आकस्मिक जांच की। मौका निरीक्षण करने पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस पाये गये। मौके पर अप्रार्थी श्री सतीश पुत्र रामस्वरूप से पूछताछ करने पर उसके पास गैस भण्डारण से संबंधित किसी प्रकार के कोई वैध दस्तावेज नहीं पाये गये। जिससे अप्रार्थी का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर,– 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(a)(b)(C) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो दण्डनीय अपराध है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त सुदा इस निर्णय के पैरा संख्या (1) में वर्णित 6 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत् समपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। उक्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण किया जावे तथा गैस सिलेण्डर में पायी गयी गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते हैं। उक्तानुसार कीमतन निस्तारण से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। उक्त प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

4. निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर
06/8/24
अपर कलक्टर, नागौर